SPEED POST

Government of India
National Commission for Scheduled Tribes
(A Constitutional Commission set up under Art. 338A of the Constitution of India)

File No. JJM/1/2016/MTUR1/SEOTH/RU-IV Dated: 05.09.2017

To,

The Director General,
Archaeological Survey of India,
Janpath,
New Delhi – 110 011

Sub: Proceedings of the sitting taken by National Commission for Scheduled Tribes (NCST) on 17.08.2017 at 12.00 noon in the matter of Shri Jagdish Jangalu Mali, Distt. Aurangabad (Maharashtra) (S/o late Jangalu Shama Mali, Memorial Attendant, Archaeological Survey of India) regarding compassionate appointment.

Sir,

I am directed to enclose a copy of the Proceedings of the Sitting taken by Hon'ble Member(s), National Commission for Scheduled Tribes on 17.08.2017 on the above mentioned subject for necessary action. Action taken report in the matter may be intimated to the Commission, at an early date.

Yours faithfully,

DSKumbhare
5-9-2017
6307-08 **(D.S. Kumbhare)**
12/9/17 **Under Secretary**

Copy to:-

जारी किया
ISSUED O/C

Shri Jagdish Jangalu Mali,
Vill+Post, Kankori,
Taluka – Gangapur,
Distt.- Aurangabad – 423 702
(Maharashtra).

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(सं.जेजेएम/1/2016/एमटीयूआर1/एसईओटीएचआर.यू–4)

श्री जगदीश जंगलु माली, ग्राम व पोस्ट–कनकोरी, तालुका–गंगापुर, जिला–औरंगाबाद (महाराष्ट्र) को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में आयोग के माननीय सदस्य, श्री हर्षदभाई चुनीलाल वसावा के समक्ष दिनांक 17.08.2017 को दोपहर 12:00 बजे हुई बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक की तिथिः 17.08.2017

बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण– अनुलग्नक

श्री जगदीश जंगलु माली, ग्राम व पोस्ट–कनकोरी, तालुका–गंगापुर, जिला–औरंगाबाद (महाराष्ट्र) को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में माननीय सदस्य, श्री हर्षदभाई चुनीलाल बसावा, के समक्ष दिनांक 08.02.2017 को अपराह्न 3:00 बजे बैठक संपन्न हुई। बैठक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली के प्रतिनिधि तथा श्री जगदीश जंगलु माली के साथ विचार–विमर्श किया गया तथा आयोग ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को निम्न बिंदुओं पर कार्यवाही करने की सलाह दी गयी।

1. श्री जगदीश जंगलु माली के मामले में अत्यधिक विलम्ब हुआ है, अतः उन अधिकारियों पर कार्यवाही करे जिन्होंने श्री जगदीश जंगलु माली के मामले को लम्बित रखा है।
2. श्री जगदीश जंगलु माली को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति देने के मामले को विभागीय चयन समिति के समक्ष रखकर, दिनांक 07 मार्च, 2017 तक आयोग को की गई कार्यवाही से अवगत कराएं।

2. आयोग की उपरोक्त बैठक का कार्यवृत्त, आयोग के पत्रसंख्याजेजेएम/1/2016/एमटीयूआर1/एसईओटीएच/आर.यू–4 दिनांक 07.03.2017 द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली को आवश्यक कार्यवाही हेतु, अग्रेषित किया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली ने पत्रसंख्या 14–27/2009–प्रशासन.11 दिनांक 31.03.2017 द्वारा सूचित किया कि श्री जंगलु माली का केस डीएससी की अगली मीटिंग में विचार तथा संस्तुति के लिए रखा जाएगा, और इसके बाद आयोग को सूचित किया जाएगा। आयोग ने पत्रसंख्या.एच/आरजेजेएम/1/2016/एमटीयूआर1/एसईओटी .यू–4 दिनांक 27.06.2017 द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली से मामले में की गई कार्यवाही तथा वर्तमान स्थिति की सूचना भेजने को कहा।

हर्षदभाई वसावा/Harshadbhai Vasava
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

3. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली ने पत्र संख्या 14–27 / 2009–प्रशासन.11 दिनांक 17.07.2017 द्वारा सूचित किया कि रिक्तियों की स्थिति की गणना की जा रही है और डीएससी की मीटिंग शीघ्र ही आयोजित की जाएगी। तद्नुसार श्री जंगलु माली का प्रकरण डीएससी की अगली मीटिंग में स्वीकृत हेतु रखा जाएगा।

4. श्री जगदीश जंगलु माली ने अपने अभ्यावेदन दिनांक 25.07.2017 द्वारा आयोग से,भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना के साथ–साथ न्याय दिलाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रार्थना की।माननीय सदस्य ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए दिनांक 17.08.2017 को दोपहर 12:00 बजे महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली को चर्चा के लिए बुलाने का आदेश दिया।

5. अतिरिक्त महानिदेशक (प्रशासन) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली ने पत्रसंख्या14–27 / 2009–प्रशासन.11 दिनांक 10.08.2017 द्वारा सूचित किया कि महानिदेशक, विदेश प्रवास की छुट्टी पर है अतः उन्हें व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए छूट देने का अनुरोध किया। श्री पीजी कलाधरण, निदेशक (प्रशासन) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली को बैठक में उपस्थित होने के लिए प्राधिकृत किया।

6. आयोग ने श्री जगदीश जंगलु माली को अपनी स्थिति बताने का मौका दिया। श्री जगदीश जंगलु माली ने शीघ्रातिशीघ्र डीएससी की मीटिंग कराने की प्रार्थना की जिससे उसे न्याय मिल सके और जीवनयापन सुचारू रूप से कर सके। माननीय सदस्य महोदय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रतिनिधियों से मामले में की जाने वाली कार्यवाही से अवगत कराने को कहा।

7. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि महानिदेशक महोदया, के कार्यालय जॉईन करने के 15 दिन के अंदर कार्यवाही करने के लिए संबंधित फाइल प्रस्तुत कर दी जाएगी तथा आश्वासन दिया कि संभवतः एक मास के अंदर निर्णय ले लिया जाएगा।

8. आयोग ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आश्वासन के उपरांत, यह सलाह दी कि बैठक के कार्यवृत्त की प्राप्ति के एक मास के अंदर,की जाने वाली कार्यवाही से आयोग को अवगत कराए।

....

हर्षदभाई वसावा/Harshadbhai Vasava
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

अनुलग्नक–क

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(संख्या–जेजेएम/1/2016/एमटीयूआर1/एसईओटीएच/आर.यू.–4)

उपस्थित अधिकारियों का विवरण

1. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(1)श्री हर्षदभाई चुनीलाल वसावा, माननीय सदस्य, अध्यक्ष
(2) श्रीमती माया चिंतामण ईवनाते, माननीय सदस्या, अध्यक्ष
(3) श्री डी.एस. कुंभारे, अवर सचिव
(4) श्री आर.एस. मिश्रा, वरिष्ठ अन्वेषक
(5) श्री एस.एस. ऐतराम, सदस्य (एमसीआई) के निजी सचिव

2. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली
(1) श्री पी.जी कलाधरन, निदेशक (प्रशासन) दूरभाषः 23018614
(2) श्री ताराचंद्र, उपनिदेशक (प्रशासन) दूरभाषः 23793628

(3) अभ्यावेदक

श्री जगदीश जंगलु माली, (मोबाईल नंबर 8888222131)